डब्लू-11013/29/2012/एनबीए-(यूपी-पत्राचार) (खण्ड II)

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

*****

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून, 2014

सेवा में,

प्रधान सचिव

पंचायती राज विभाग

उत्तरप्रदेश सरकार

सचिवालय भवन, उत्तरप्रदेश लोक सचिवालय

लखनऊ 226001

विषय :- राज्य के ग्रामीण इलाकों में शौचालयों का निर्माण-महिलाओं हेतु स्वच्छता की सुविधाएं।

महोदय,

1. हाल ही में बदायूं, उत्तरप्रदेश में अपहरण, बलात्कार तथा हत्या के मामले पर मीडिया की रिपोर्टों से यह पता चलता है कि इस क्षेत्र में शौचालयों के न होने से कुछ हद तक, आंशिक रूप से, इस प्रकार के जघन्य अपराधों को घटित होने में बल मिला है।
2. इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अन्तर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों तथा सामुदायिक स्वच्छता समूहों के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता है।
3. पीआईपी के अनुसार बदायूं जिले में 312082 आईएचएचएल के लक्ष्य की तुलना में अब तक 232994 (74.66%) लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, एनबीए के अन्र्तगत बदायूं जिले के लिए 1.04 करोड़ रू. के शेष सहित उत्तरप्रदेश के पास उपलब्ध शेष राशि 293 करोड़ रू. है। आस-पास के जिलों के लिए भी पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं। अत: इस क्षेत्र में आईएचएचएल का व्यापक स्तर पर निर्माण करने के लिए तुरन्त उपाय किए जा सकते हैं। राज्य द्वारा संवदेनशील एवं दुर्गम क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए तथा प्राथमिकता के आधार पर ऐसे क्षेत्रों को आईएचएचएल से कवर किया जाना चाहिए।
4. राज्य ऐसे क्षेत्रों में सामूहिक स्वच्छता समूहों के निर्माण पर भी विचार कर सकता है। कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु ने महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट किस्म के एकीकृत महिला स्वच्छता समूहों का निर्माण किया है जिसका संचालन ग्राम पंचायतों/विभागों द्वारा किया जाता है। इस प्रणाली की विशेषता यह है कि इस प्रकार के समूहों का रखरखाव संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है तथा जल एवं बिजली की आपूर्ति जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सकता है। (ऐसी प्रणालियों पर टिप्पणियां संलग्न हैं)
5. राज्य से अनुरोध किया जाता है कि वह इस मामले पर तुरन्त कदम उठाए ताकि विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्वच्छता संबंधी पर्याप्त सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

(सरस्वती प्रसाद)

संयुक्त सचिव

संलग्नक - यथोक्त

प्रति - सभी राज्यों के प्रधान सचिवों/ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिवों को सूचनार्थ एवं उपयुक्त कार्रवाई हेतु।